

09/03/2024 आज यह दस्तावेज जारी करार स्वयं  
 उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश  
 कर निवेदन किया गया की जारी एवं  
 प्रतिनवीकरण के माध्यम आपकी राजीनाम  
 हो गया है इसलिए लोक अदालत की  
 मांग से राजीनाम के अग्रिम एवं  
 दस्तावेज में जोर करनी नहीं चाहिए  
 है दस्तावेज को इसी तरह पर विज्ञा  
 करने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थना  
 पत्र दस्तावेज के संलग्न है

प्र  
 इव. by -  
 W  
 09/03/24

दस्तावेज का अवलोकन किया गया  
 जारी। प्रार्थना के निवेदन एवं राजीनाम के  
 अग्रिम एवं लोक अदालत में दस्तावेज  
 विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाती  
 है दस्तावेज में करनी इसी तरह पर  
 वरत की जाती है दस्तावेज के संलग्न  
 प्रमाण पत्र संलग्न है

श्री अशोक कुमार शर्मा

५

9.3.24